झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
संख्या–05

पंचदश (बजट) सत्र
गुरूवार, दिनांकः–29 फरवरी, 2024 ई०।

समयः–11:00 बजे पूर्वा० से 05:04 अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. प्रश्नकाल

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआः–

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या–23

(क) उत्तरित कुल–02	क्र०सं०–62, श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की,	स0वि0स0 (दिनांक–28.02.2024 से स्थगित)
	क्र०सं०–78, श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा,	स0वि0स0
	क्र०सं०–79, श्री सरयू राय,	स0वि0स0
(ख) स्थगित कुल–01	क्र०सं०–80, श्री विनोद कुमार सिंह,	स0वि0स0 (दिनांक–01.03.2024 हेतु)
(ग) अनागत कुल–20	क्रम संख्या–81 से 100 तक।	

(ii) तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या–34

(क) उत्तरित कुल–05	क्र०सं०–50, श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	स0वि0स0 (दिनांक–28.02.2024 से स्थगित)
	क्र०सं०–80, श्री समीर कुमार मोहन्ती	स0वि0स0
	क्र०सं०–81, सुश्री अम्बा प्रसाद	स0वि0स0
	क्र०सं०–82, श्री रामचन्द्र सिंह	स0वि0स0
	क्र०सं०–84, श्री सुखराम उराँव	स0वि0स0
	क्र०सं०–85, श्री जयप्रकाश भाई पटेल	स0वि0स0
(ख) अपृष्ठ कुल–01	क्र०सं०–83, श्री विकास कुमार मुण्डा	स0वि0स0
(ग) अनागत कुल–28	क्र० सं०–86 से 113 तक।	

2. सूचना दिया जाना/व्यवस्था का प्रश्न

1. श्री बिरंची नारायण, स0वि0स0 ने प्रश्नकाल के दौरान सदन को सूचित किया कि नेता, प्रतिपक्ष बने छः माह हो गए, सूचना आयोग कार्यरत नहीं है। सूचना आयोग का गठन शीघ्र किया जाए, जिससे हजारों–हजार लोगों को न्याय मिलेगा।
2. डॉ0 इरफान अंसारी, स0वि0स0 ने सूचित किया गया कि रेलवे के कर्मियों की लापरवाही से हुई दुर्घटना में कई लोग मारे गए, घायल हुए। मृत लोगों के परिजनों को 50 लाख की राशि एवं सरकारी नौकरी दी जाए। इसपर आसन से संवेदना व्यक्त की गई।

[व्यवस्था के प्रश्न पर श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, स0वि0स0 ने आसन से आग्रह किया कि एक प्रश्न पर इतना अधिक समय लग रहा है। सरकार के स्तर पर स्पष्ट उत्तर नहीं आता है। इस क्रम में उन्होंने उल्लेख किया कि वे स्वयं जब झारखण्ड विधान सभा के अध्यक्ष थे, उस समय बिहार विधान सभा की कार्यवाही जाकर देखे थे। बहुत सारे प्रश्नोत्तर हुए। हाँ, ना में जवाब हो जाता था।]

3. शून्यकाल की सूचनायें

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–303 के तहत् आज के लिए स्वीकृत शून्यकाल की सूचनायें निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी गयीः–

श्री मंगल कालिन्दी	स0वि0स0
श्री भूषण तिर्की	स0वि0स0
श्री मथुरा प्रसाद महतो	स0वि0स0
श्री उमाशंकर अकेला	स0वि0स0
डॉ0 इरफान असारी	स0वि0स0
सुश्री अम्बा प्रसाद	स0वि0स0
श्री रामचन्द्र सिंह	स0वि0स0
श्री भूषण बड़ा	स0वि0स0
श्री समीर कुमार मोहन्ती	स0वि0स0
श्री संजीव सरदार	स0वि0स0
श्री सरयू राय	स0वि0स0
श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	स0वि0स0
श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	स0वि0स0
श्री राजेश कच्छप	स0वि0स0
डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	स0वि0स0
श्री विनोद कुमार सिंह	स0वि0स0
डॉ0 लम्बोदर महतो	स0वि0स0
डॉ0 नीरा यादव	स0वि0स0
श्री नारायण दास	स0वि0स0
श्री किशुन कुमार दास	स0वि0स0
श्री दशरथ गागराई	स0वि0स0
श्री अमित कुमार यादव	स0वि0स0
श्री अमित कुमार मण्डल	स0वि0स0
श्री अनन्त कुमार ओझा	स0वि0स0
श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	स0वि0स0

4. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनायें

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–147 के तहत् प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना एवं उनपर दिए गए वक्तव्य निम्नवत् हैः–

i. श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी, जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

ii. श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी, जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

(वक्तव्य के क्रम में माननीय नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के सभी सदस्यों ने आसन से विधान सभा की विशेष समिति बनाने का इस आधार पर आग्रह किया कि JUDCO जो दूसरी कम्पनियों को काम देती है, राँची, आदित्यपुर, चास में आधा–अधूरा काम करके छोड़ देती है, इसकी निष्पक्ष जाँच आवश्यक है।)

तत्पश्चात् माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री आलमगीर आलम ने तीन सदस्यीय विशेष समिति बनाने का सुझाव दिया, जिसमें प्रश्नकर्त्ता को भी शामिल किया जाए।)

5. सभा मेज पर प्रतिवेदन का रखा जाना

आसन से पुकारे जाने पर माननीय सभापति, श्री नलिन सोरेन द्वारा विशेष समिति (प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति) की एक प्रति झारखण्ड विधान सभा का प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–216(1) के तहत सदन पटल पर उपस्थापित किया गया।

6. वित्तीय कार्य

आसन द्वारा पुकारे जाने पर कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) के माननीय प्रभारी मंत्री श्री बादल द्वारा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) मांग संख्या–01 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 27,90,15,30,000/–(सत्ताईस अरब, नब्बे करोड़, पन्द्रह लाख, तीस हजार) रूपये से अनधिक की मांगे सभा में प्रस्तुत की गयी, जिसपर माननीय सदस्य सर्वश्री नवीन जयसवाल, मनीष जायसवाल, अनन्त कुमार ओझा, अमित कुमार मण्डल, डॉ0 नीरा यादव, विनोद कुमार सिंह, डॉ0 लम्बोदर महतो एवं अमित कुमार यादव से प्राप्त कटौती प्रस्ताव (मांग संख्या02 से 09) का उल्लेख आसन से किया गया। पुनः आसन की अनुमति से श्री नवीन जयसवाल ने अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

(सूचना पर खड़े होकर श्री विनोद कुमार सिंह, स0वि0स0 ने सदन को अवगत कराया कि बाघमारा में एक मंदिर निर्माण के लिए रैयती जमीन ली जा रही है। उस परिवार के सदस्यगण धनबाद जिला के रणधीर वर्मा चौक पर धरने पर बैठे हैं। जिला प्रशासन उक्त परिवार के सदस्यगण एवं मंदिर ट्रस्ट समिति के सदस्यों से बातकर समस्या का समाधान निकाले।)

{व्यवस्था पर खड़े होकर माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव ने कहा कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–53 के तहत छः विधायकों ने एक लोकमहत्व के विषय पर आधे घण्टे की विशेष चर्चा के लिए आवेदन दिया है। संवैधानिक संस्थाओं के दुरूपयोग का मामला है। अध्यक्ष महोदय चाहें, तो चर्चा का समय निर्धारित कर सकते हैं।}

7. वित्तीय कार्य (क्रमांक–6 से जारी)

अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत व्यय विवरणी पर चर्चा में भाग लिये जाने हेतु दलगत समय आवंटन की घोषणा आसन से की गयी। तत्पश्चात् आसन की अनुमति से माननीय सदस्य श्री नवीन जयसवाल ने चर्चा प्रारंभ की। इसके उपरान्त निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी इसमें भाग लियाः–

श्री लोबिन हेम्ब्रम

श्री मनीष जायसवाल

(इस अवसर पर माननीय सभापति श्री रामचन्द्र सिंह ने आसन ग्रहण किया)

(व्यवस्था पर खड़े होकर सुश्री अम्बा प्रसाद, स0वि0स0 ने राज्य सरकार की विस्थापन नीति की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि जो विस्थापित हैं, उनकी जमीन केन्द्र सरकार की कम्पनी एनटीपीसी, अडानी आदि ले रहे हैं। इसका समाधान आवश्यक है।)

डॉ0 इरफान अंसारी

डॉ0 लम्बोदर महतो

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

श्री अमित कुमार यादव

(सभा की सहमति से सदन की कार्यवाही की अवधि सभा की समाप्ति तक बढ़ायी गयी।)

श्री मंगल कालिन्दी

श्री रणधीर कुमार सिंह

(चर्चा के क्रम में विपक्षी सदस्यों का 04:30 अप0 में सदन से बहिर्गमन)

इसके बाद सरकार की ओर से माननीय मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में सम्मिलित अनुदान की मांगों पर सभा में सरकार की ओर से उत्तर दिया, जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य श्री नवीन जयसवाल द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव, प्रस्तावक सदस्य की अनुपस्थिति एवं विपक्ष के वहिर्गमन के बीच ध्वनिमत से अस्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक–01 मार्च, 2024 के 11:00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक–29 फरवरी, 2024

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।